

सेवा में,

श्री ज्योतिष गौतमुनी
संस्कृत मण्डल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
श्री आर केन्द्रीय 2 समुदाय केन्द्र,
पुणे जिल्हा, नई दिल्ली ।

दिनांक (7) अनुमा :

संज्ञक : दिनांक 31 अगस्त, 1998

विषय

विषय: परत निकेतन विषय भारतीय पब्लिक स्कूल इबरेडा हरिद्वार जो सीबीई
स्टैंडर्ड नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनधिकृत प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने
के संबंध में ।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषय पर मुझे पत्र आने पर निदेश हुआ है कि परत निकेतन विषय
भारतीय पब्लिक स्कूल, इबरेडा, हरिद्वार जो सीबीई स्टैंडर्ड नई दिल्ली से
सम्बन्धता हेतु अनधिकृत प्रमाण-पत्र किये जाने में उस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिक्रमों के अधीन आगति नहीं है :-

- 1) विद्यालय की संवीकृत होना पड़ी जो समय समय पर नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक
सदस्य होगा ।
- 3) विद्यालय में कम से कम दस प्रमाणित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश
माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तय किये विद्यार्थियों में विभिन्न
जातों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
अथवा वैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय
की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केंद्रित कार दि
इण्डियन स्कूल सर्विसेज असासिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती
है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से
परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त
हो जायेगी ।
- 5) संस्था अधिका एवं शिक्षितार कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त
विशेष संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र देना माननीय तथा अन्य
मन्त्रों से कम वेतनमान तथा अन्य मन्त्रे नहीं किये जायेंगे ।
- 6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त
अत्यावसीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र
सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- 17) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 18) विद्यालय का रजिस्ट्रार विधार्थित पुस्तक/पंजीकरणों में रखा जायेगा।
- 19) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह वाजा जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का हानन नहीं किया जा रहा है अथवा हानन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

अशोक मांगुली
संयुक्त सचिव।

सू.सं. 3981/15/15-7-98 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित जो सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरिद्वार।
- 4- निरीक्षक, जंजल भारतीय विद्यालय, 3850, लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक वरत निकेतन विश्व भारतीय पब्लिक स्कूल, ज़ाबरेडा (हरिद्वार)।

आज्ञा से,

Senul
अशोक मांगुली
संयुक्त सचिव।

[Signature]
Principal
Charat Niketan Vishwa Bharti
Senior Secondary Public School
Jhabrera (Haridwar)

[Signature]
Chairman
Charat Niketan Vishwa Bharti
Senior Secondary Public School
Jhabrera (Haridwar)